R 1073-III/14

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

जिला ग्वालियर

प्र. क्र. निगरानी / 3 / 20114

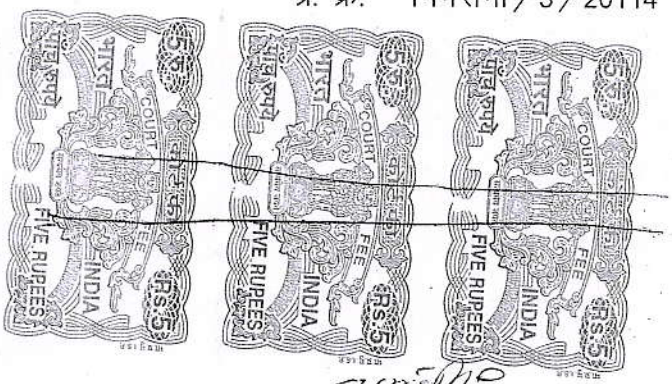

~~सरजूप्रसाद~~ मृतक वारिस

1. ~~विजय कुमार शर्मा~~
2. रमेश
3. प्रदीप
4. मनमोहन
5. प्रमोद पुत्रगण स्व0श्री सरजूप्रसाद निवासी ग्राम बम्हौरी रेगुंवा तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0 .....प्रार्थी

बनाम

श्रीमती शारदाबाई पत्नि स्व0श्री विनायकराव बेलापुरकर निवासी माता मड़िया विजय टाकीज रोड मोतीनगर वार्ड, सागर तहसील व जिला सागर म0प्र0 .....प्रतिप्रार्थी

<u>म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण कमांक 12 / 2012–13 अपील / 6 अ में पारित आदेश दिनांकी 06.03.2014 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी</u>

श्रीमान जी,

प्रार्थीगणों की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रतिप्रार्थिनी ने तहसीलदार सागर द्वारा प्रकरण कमांक 4 / 1990–91 अ–6 अ, मे पारित आदेश दिनांक 01.04.1991 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी अपर तहसीलदार सागर द्वारा ग्राम बम्हौरी रेगुवा में स्थित पुराना सर्वे कमांक 124 / 1 एवं नया सर्वे कमांक 235, 308, 309, पुराना सर्वे कमांक 124 / 2 नया सर्वे कमांक 234 / 307, 124 / 3, नया सर्वे कमांक 306, पुराना सर्वे कमांक 125 नया 237 कुल रकवा 10.76 हे0 भूमि पर प्रार्थीगणों के पिता सरजू प्रसाद मौरूसी कृष्क के रूप में नाम अंकित था प्रार्थीगणों के पिता ने दिनांक 06.02.1991 मे इस आशय का एक आवेदन पत्र अपर तहसीलदार सागर के न्यायालय में प्रस्तुत किया कि विधि के अनुरूप प्रार्थी उक्त भूमि का अधिपत्य कृष्क होने से उसे भूमि स्वामी स्वत्व उदभूत हो चुके है इसलिये प्रार्थी के पिता को भूमि स्वामी घोषित किया जावे । प्रार्थीगणों के पिता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण कमांक 4 / 1990–91 में अ–6 अ दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 01.04.1991 के द्वारा भूमि स्वामी घोषित किया गया उक्त आदेश की जानकारी प्रतिप्रार्थी को राजस्व प्रकरण कमांक 108 / 2008–09 बी–121 में नायब

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. 1073–।।।/14 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7.4.2014	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, सागर व्दारा प्र.क. 12/ अ–6/12–13 अपील में पारित आदेश दि. 6–3–2014 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कानुकम में अनुविभागीय अधिकारी, सागर के आदेश दिनांक 6–3–2014 के अवलोकन पर पाया गया कि अनावेदिका व्दारा विचारण न्यायालय व्दारा पारित आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा अपील मेमो के साथ विलम्ब क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन एंव शपथपत्र प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन स्वीकार करने मे किसी प्रकार की त्रृटि की है –	7/4/14

1. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)–धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 – पर्याप्त कारण होने से न्यायालय बैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है।
2. परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 एंव भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)–धारा 47 – सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार–रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।
3. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)–धारा 47 – ग्राम में दूर रहने वाली वृद्व, अशिक्षित महिला के प्रति विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु उदार रूख अपनाया जाना चाहिये।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलकर्ता विधवा महिला है जिसके कारण तथा अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर समाधान हो जाने से अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की हैं ।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य